

**COASTAL ZONE MANAGEMENT AUTHORITY,
DAMAN & DIU**

O/O THE POLLUTION CONTROL COMMITTEE,
DD & DNH,
1ST FLOOR, UDYOG BHAWAN,
BHENSLORE, NANI DAMAN -396210.

Phone : 0260-2262524/2260974/2260804(Fax)/

E-mail : mspcc_dmn@pccdaman.info

No. DCF/DMN/DDCZMA-Meeting/Part-II/269/2016-17/3⁰

Dated :- 05/01/2020.

Sub : Re-constitution of DDCZMA– reg.

With reference to the above cited subject please find enclosed herewith a copy of Order S. O. 124(E) Dated 09/01/2020 regarding re-constitution of Daman & Diu Coastal Zone Management Authority, with a request to display on the official portal of Administration of Daman & Diu on web page of Coastal Zone Management Authority.



(Dr. Rakesh Minhas)
Member Secretary,
DDCZMA,
Daman.

To,
The State Informatics Officer
NIC, Daman.

Copy to the Chairman, DDCZMA, Daman for kind information please.

The format to be send along-with the document to be uploaded on daman.nic.in No

No.	Entity	Description
1.	Department	Pollution Control Committee, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli
2.	Type of Document	Order
3.	Title / Subject	Re-constitution of Daman & Diu Coastal Zone Management Authority.
4.	Upload on (date)	Urgent (01/02/2020)
5.	Expiry date (if any)	--
6.	In case of Tender	NA

c/194

F.No. J-17011/18/1996-IA III (pt)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA-III Division)

Tel:011-24695405
e-mail: saranya.p@gov.in

Indira Paryavaran Bhawan
Jorbagh Road, New Delhi - 3
Dated: 13th January, 2020

To,
The Member Secretary,
Daman & Diu Coastal Zone Management Authority,
Pollution Control Committee, DD&DNH,
1st Floor, Udyog Bhawan, Bhenslore Kunta Road,
Nani Daman, Daman - 396210

Sub: Notification regarding re-constitution of Daman & Diu Coastal Zone Management Authority - reg.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Notification S.O. 124 (E) dated 09.01.2020 regarding re-constitution of Daman & Diu Coastal Zone Management Authority for your kind information and necessary action.

Encl: as above

Yours faithfully,

(Dr. Saranya P)
Deputy Director (CRZ)

(डा. पी. सरन्या)
(Dr. P. SARANYA)
वैज्ञानिक 'सी'/Scientist 'C'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
M/o Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

प्रदूषण नियंत्रण समिति
POLLUTION CONTROL COMMITTEE
दमन एवं दीव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Daman & Diu, P.O. - 395001, Nagar Haveli
आवक/आगत नं.
Inward/Incoming No. 3382
रजि. नं. 33 पृष्ठ नं. 99
R. No. Page No.
दिनांक
Date 24/01/2020

0
29/11

LAC

e/192



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215346
CG-DL-E-11012020-215346

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]
No. 114]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2020/पौष 19, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/PAUSHA 19, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

का.आ. 124(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 20 दिसंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4097 (अ), तारीख 14 दिसंबर 2016, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, दमण और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-

क्र.सं.	सदस्य	प्रास्थिति
---------	-------	------------

(1)	(2)	(2)
.1	सचिवदमण और दीव दादर और नगर हवेली ,पर्यावरण और वन ,	अध्यक्षपदेन ,;
.2	विभागाध्यक्षदमण और दीव तथा दादर और नागर ,पर्यावरण और वनविभाग , दमण ,हवेली	सदस्यपदेन ,;
.3	कलेक्टर दमण ,	सदस्यपदेन ,;
.4	कलेक्टरदीव ,	सदस्यपदेन ,;
.5	मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार मोती दमण ,नगर और ग्राम योजना विभाग ,	सदस्यपदेन ,;
.6	निदेशकदमण और दीव ,मत्सय पालन ,	सदस्यपदेन ,;
.7	निदेशकचेन्नई ,नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेन्ट ,	सदस्यपदेन ,;
.8	निदेशक या उसका नामनिर्देशितअहमदाबाद ,स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ,	सदस्यपदेन ,;
.9	मैंग्रोव सोसायटी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि ,एन जी ओ ,डोना पाउलागोवा ,	सदस्यपदेन ,;
.10	सदस्य सचिवदमण और दीव तथा दादर और नागर , प्रदूषण नियंत्रण समिति , दमण । ,हवेली	सदस्य सचिवपदेन ,;

2. प्राधिकरण का मुख्यालय मोती दमण , दमण और दीव में स्थित होगा।
3. प्राधिकरण की बैठकों के लिए गणपूर्ति अपने सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई होगी।
4. एक सदस्य या अन्य पदेन सदस्य का, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार वेतन भत्ता होगा।
5. प्राधिकरण को तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार करने के प्रयोजनों के लिए दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में तटीय विनियम जोन के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात:-

- (i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात, उसकी परीक्षा करेगा कि यह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसार है और भारत सरकार के तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी और का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित तटीय विनियम जोन अधिसूचना की अपेक्षाओं के भीतर है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) और ऐसे आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी को ऐसी परियोजना के अनुमोदन हेतु सिफारिशें करेगा।
- (ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में सभी प्रबंधकीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करेगा;
- (iii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपबंधों के प्रवर्तन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा;
- (iv) प्राधिकरण संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त तटीय जोन प्रबंध योजना में और तटीय विनियम जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्रस्तावों की जांच करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा;

- (v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों की जांच करेगा और उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन या अभिकथित अतिक्रमण के मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;
- (vi) प्राधिकरण, स्वतः उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन के मामलों या किसी व्यक्ति या किसी निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;
- (vii) प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाईल करने के लिए प्राधिकृत हैं;
- (viii) प्राधिकरण इसके समक्ष मामलों के तथ्यों को सत्यापित करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित है।

6. प्राधिकरण, इसके कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन हेतु, एक समर्पित वेबसाइट सृजित करेगा और जिस पर इसकी बैठकों में कार्यसूची, बैठकों के कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में लिए गए निर्णय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण और उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफारिशों तथा ऐसे अतिक्रमणों और उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई, न्यायालय के मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेशों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है; सहित इसके कृत्यों से संबंधित सूचनाएं पोस्ट करेगा।

7. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. जे-17011/18/1996-आईए-III]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th December, 2016 vide number S.O.4097(E), dated the 14th December, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Daman and Diu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

Sl. No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	The Secretary, Environment and Forests, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli	Chairman, <i>ex-officio</i> ;
2.	Head of Department, Department of Environment and Forests, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Daman	Member, <i>ex-officio</i> ;
3.	The Collector, Daman	Member, <i>ex-officio</i> ;
4.	The Collector, Diu	Member, <i>ex-officio</i> ;
5.	The Chief Town and Country Planner, Town and Country Planning Department, Moti Daman	Member, <i>ex-officio</i> ;
6.	The Director, Fisheries, Daman and Diu	Member, <i>ex-officio</i> ;

